न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम मुकेश शर्मा

मुकदमा न. 28/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

28.12.2018	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी मुकेश शर्मा पुत्र चन्द्रप्रकाश शर्मा निवासी वार्ड नं. 07 जीणमाताजी मैसर्स– शर्मा मिष्ठान भण्डार मन्दिर के पास जीणमाताजी जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नम्बर एफ– 1148 वस्तु खौआ के पेड़े का नमूना लिया गया । राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया, परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। अप्रार्थी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी मुकेश शर्मा के 5,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया । 28/12/18

राजस्थान सरकार
Web Copy - Not Official